बिल का सारांश

लदान हुंडी बिल, 2024

- लदान हुंडी बिल, 2024 को लोकसभा में 9 अगस्त, 2024 को पेश किया गया। यह बिल भारतीय लदान हुंडी एक्ट, 1856 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट लदान हुंडी जारी करने के लिए एक कानूनी संरचना का प्रावधान करता है। लदान हुंडी उस दस्तावेज को कहा जाता है, जो कोई मालवाहक (फ्रेट करियर) किसी माल भेजने वाले व्यक्ति या कंपनी (शिपर) को जारी करता है। इस दस्तावेज में वस्तुओं के प्रकार, मात्रा, स्थिति और गंतव्य का विवरण होता है। एक्ट के अनुसार, लदान हुंडी जहाज पर माल का अंतिम सबूत होता है। वह निम्नलिखित व्यक्तियों को माल के संबंध में मुकदमों और देनदारियों के सभी अधिकार प्रदान करता है: (i) लदान हुंडी के अनुसार, प्राप्तकर्ता, या (ii) कोई तीसरा पक्ष, जिसे प्राप्तकर्ता माल का स्वामित्व हस्तांतरित कर सकता है। बिल एक्ट के तहत सभी प्रावधानों को बरकरार रखता है।
- **निर्देश जारी करने की शक्ति**: बिल इसमें यह और जोड़ता है कि केंद्र सरकार बिल के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है।

स्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अनिरुद्ध टी.आर.
anirudh@prsindia.org

12 अगस्त, 2024